



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा: शिविर 2025 कैम्प स्थल - इन्धगारुई.....

धारा संनर्गत - 136 प्र.सं. 263/25 दायर दिनांक. 22/09/2025 निर्णय दिनांक. 22/09/2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>इन्धगारुई</u>	<u>82</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुगाबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>हस्ताक्षर</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशांषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयान अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>इन्धगारुई</u> में <u>इन्धगारुई</u> खालास की जायेगी।</p> <p>मैं वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल इन्धगारुई को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद इन्धगारुई जिला-चितौड़गढ

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
 (उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलक्टर

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन